न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

तारीख रजू– 09/02/2015

छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा।

बनाम ——प्रार्थी

बरवाडा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।

जाति गुर्जर निवासी शाहपुरा जिला जयपुर हाल चौथ का बरवाडा।

——अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक–07/01/2016

प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 378/86 मे पारित निर्णय 21/10/86 के विरूद्व प्रस्तुत ने गणेशनारायण पुत्र श्री गेन्दीलाल धाबाई को खाम से पुख्ता निर्माण की हेतु निवेदन किया है।

पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अदालत होने पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

ने बहस मे बताया कि गणेशनारायण पुत्र गेंदीलाल धाबाई प्रार्थी के पिता छोटूलाल मे वार्ड पंच रहा है अतः उसका पंचायत पर प्रभाव था। उसने दिनांक पुख्ता मकान बनाने का आवेदन पत्र पेश किया तथा पंचायत चौथ का बरवाडा ने /86 को निर्माण करने की इजाजत प्रदान करदी गई जबकि यह प्रार्थी के पिता धाबाई की सयुक्त मिल्कियत की सम्पत्ति थी। गणेशनारायण एंव उनकी पत्नी के बाद उनके कोई वारीसान नही होने से विपक्षी संख्या 2 सत्यनारायण पुत्र जिला जयपुर ने उक्त मकान पर अपना हक बताना चाह रहा है। पत्रावली फुरत आदेश पारित किया है अतः निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत को विधिक चाहिये था। मकान किसका है मोके पर जॉच करानी चाहिये थी क्योकि पत्नी गीता की मृत्यु हो गई है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 उक्त विवादित सम्पत्ति से भी कब्जा करना चाहता है जबकि उसका अप्रार्थी संख्या 2 के परिवार से कोई उसकी पत्नी की प्रार्थी ने तथा रामकल्याण एवं उसके लडके सोनू ढोली ने खुश होकर कानजी गुर्जर एवं अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष इस मकान पर स्वीकार किया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि प्रार्थी सम्पत्ति पर कब्जा करने की दृष्टि से निगरानी लाया है जबकि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे दावे मे का लडका बताया है। प्रार्थी लडाकू एवं गलत आचरण का व्यक्ति है वह आधार पर लाया है। एकतरफ अपने को गणेशनारायण का वारित बताते हुए सम्पत्ति को अपनी बताता है जबकि दूसरी ओर पंचायत द्वारा पटटा जारी करने को सम्पत्ति को कब्जे मे करना चाहता है। उसने निर्माण स्वीकृति की पत्रावली की 25/11/10 को आवेदन किया था जिस पर उसे 29/12/10 को नकले जारी करने की गरज से दूसरा आवेदन 17/02/14 को पेश किया जिस पर की गई। दोनो आवेदन पत्र पंचायत की पत्रावली मे संलग्न है। ग्राम पंचायत

किया उस पर कोई आपत्ति नही आने पर स्वीकृति जारी की है जबकि प्रार्थी को इस स्वीकृति की जानकारी है। गणेशनारायण ने अप्रार्थी संख्या 2 के पिता भैरूबक्स के बारे मे वसीयत की है। अतः अप्रार्थी वसीयत के आधार पर सम्पत्ति का मालिक उसके पिता ने ही गणेशनारायण की सेवा की थी इस कारण उसके पक्ष मे वसीयत संबंध प्रार्थी के खराब चरित्र के कारण कभी अच्छे नही रहे है। प्रार्थी ने विरूद्ध पहले भी एक निगरानी पंचायत के पटटे के संबंध मे की थी जो 02/09 को खारिज हो चुकी है। गणेशनारायण ने भैरूबक्स के पक्ष मे वसीयत की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के दावा संख्या 92/83 निर्णय दिनांक साबित है कि प्रार्थी गणेशनारायण व अन्य के विरूद्ध उनकी खातेदारी भूमि के आज्ञप्त हो चुका है। अतः प्रार्थी को शुरू से उक्त पटटे के बारे मे जानकारी रही है। धारा-307 की नजीर से भी उक्त निगरानी वर्षो बाद तथा स्वच्छ तथ्यो से पेश नही प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

ने जवाब मे बताया कि पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी की विवादित सम्पत्ति पुश्तैनी थी। गणेशनारायण व निगरानीगुजार एक परिवार से जिसके बारे मे अकेले पटटा बनाने का गणेशनारायण को कोई अधिकार नही

अभिभाषको की बहस को गौर किया। पत्रावली का अध्ययन किया। पंचायत पत्रावली 25/11/10 एवं 17/02/14 को दो आवेदन पत्र सम्पूर्ण पत्रावली की नकले दोनो प्रार्थना पत्रो पर उसे नकले जारी की है अतः उसने निगरानी मे पंचायत के बारे मे कोई तथ्य अंकित सोच समझकर नही किया है। प्रार्थी गणेशनारायण व कृषि भूमि के बारे मे दावे कर चुका है जिसमे वह असफल रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 रहा है। उसे यह भी जानकारी रही है कि गणेशनारायण ने अप्रार्थी संख्या 2 के सम्पत्ति की वसीयत की हुई है क्योकि यह तथ्य दावे की सुनवाई मे जाहिर हो मे तथ्य भी गोलमोल पेश किये है। एकतरफ सम्पत्ति को पुश्तैनी बताता है अपना गणेशनारायण का वारिस होने के नाते अपनी होना बताता है। अप्रार्थी संख्या 2 संबंध होने से इन्कार करता है। अतः अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क दस्तावेजो से प्रमाणित होते है।

विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है व ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

दिनांक 07/01/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर